राष्ट्रीय व्यापार
व्यापार प्रोत्साहन सहायता

उत्तर पूर्व क्षेत्रों से उद्यान-विज्ञान उत्पादों को निर्यात प्रोत्साहन

* का.ज्ञा. 16 जुलाई, 2002
* का.ज्ञा. 4 अप्रैल, 2003
* का.ज्ञा. 11 जुलाई, 2006
* इनलैंड परिवहन सहायता मार्ग-दर्शन
* अनुबंध-(क)
* अनुबंध-1 (ख)
* अनुबंध-II
* अनुबंध-III
* अनुबंध-IV
* अनुबंध-V
* अनुबंध-VI
* अनुबंध-VII

सं.27/17/2002-राज्य एकक

भारत सरकार

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

राज्य एकक

उद्योग भवन, नई दिल्ली, दिनांक 16 जुलाई, 2002

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- उत्तर पूर्व क्षेत्रों से उद्यान-विज्ञान उत्पादों को निर्यात प्रोत्साहन-निर्यात विकास निधि के अंतर्गत सहायता।

अद्योहस्ताक्षरी को उत्तर-पूर्व क्षेत्र से उद्यान विज्ञान उत्पादों के 'इन-लैंड परिवहन सहायता मार्ग-दर्शका' की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है। यह योजना वाणिज्य विभाग द्वारा अनुमोदित है तथा ए पी ई डी ए द्वारा संचालित की जाएगी। योजना 15 जुलाई, 2002 से लागू है।

सूचनार्थ तथा अपेक्षित कार्रवाई हेतु।

हस्ताक्षर

(स्वदेश कुमार)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष:- 3793423

श्री एस देव

निदेशक,

एपीईडीए

नई दिल्ली

प्रतिलिपि:-

1. अपर सचिव (एल एम एस) के पी एस
2. संयुक्त सचिव (डी एम के) के पी एस
3. श्री पी के बोरा, मुख्य सचिव, असम सरकार
4. श्री सोनम बांगडी, मुख्य सचिव, सिक्किम सरकार
5. श्री आर एस पांडे, मुख्य सचिव, नागालैंड सरकार
6; श्री राकेश, मुख्य सचिव, मणिपुर सरकार
7. श्री एच वी लालहीरंगा, मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार
8. श्री ललित शर्मा, मुख्य सचिव, अरुणाचल प्रदेश सरकार
9. श्री वी तुलसीदास, मुख्य सचिव, त्रिपुरा सरकार
10. श्री जे पी सिंह मुख्य सचिव, मेघालय सरकार
11. श्री एस सी लहरी, संयुक्त सलाहकार, योजना आयोग, योजना भवन, नई दिल्ली
12. श्री बी बालगोपाल, निदेशक उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास विभाग, नई दिल्ली
13. श्री एस के कमल, संयुक्त डी सी (हैंडलूम)
14. श्री प्रवीण गुप्ता, जी एम, एपीईडीए
15. उत्तर-पूर्व क्षेत्र आवासीय आयुक्त

सं.27/17/2002-राज्य एकक

भारत सरकार

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

राज्य एकक

उद्योग भवन, नई दिल्ली, दिनांक 4 अप्रैल, 2003

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- उत्तर पूर्व क्षेत्रों से उद्यान-विज्ञान उत्पादों को निर्यात प्रोत्साहन-निर्यात विकास निधि के अंतर्गत सहायता।

अद्योहस्ताक्षरी को उत्तर-पूर्व क्षेत्र से उद्यान विज्ञान उत्पादों के 'इन-लैंड परिवहन सहायता मार्ग-दर्शका' की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

इस योजना को 31 मार्च, 2007 तक विस्तारित कर दिया गया है तथा ए पी ई डी ए द्वारा संचालित की जाएगी। संशोधित योजना 1 अप्रैल, 2003 से लागू होगी।

एपीईडीए से सरकार के इस निर्णय का व्यापक प्रचार-प्रसार करने का अनुरोध है।

(स्वदेश कुमार)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष:- 33014510

श्री एस देव
निदेशक,
एपीईडीए
नई दिल्ली

सं.27/17/2002-इन फ्रा-II

भारत सरकार

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

इन फ्रा-II

नई दिल्ली, दिनांक 11 जुलाई, 2006

कार्यालय ज्ञापन

विषय:- उत्तर पूर्व क्षेत्रों से उद्यान-विज्ञान उत्पादों को निर्यात प्रोत्साहन-निर्यात विकास निधि के अंतर्गत सहायता।

अद्योहस्ताक्षरी को 'उत्तर-पूर्व क्षेत्र से उद्यान विज्ञान उत्पादों हेतु इनलैंड परिवहन सहायता हेतु मार्ग-निर्देश' परिचारित करते हुए इस विभाग के दिनांक 16 जुलाई, 2002 के का.ज्ञा.का हवाला देने का निदेश हुआ है।

2. एपीईडीए तथा विभिन्न उत्तर-पूर्व राज्य सरकारों द्वारा किए गए अनुरोधों के आधार पर मौजूदा मार्गनिर्देशों में निम्न संशोधन किए गए हैं।

क. परिवहन सहायता दर से संबंधित योजना का मार्ग निर्देशों से संबंधित पैरा 21 निम्न से प्रतिस्थापित किया जाएगा:

पात्र उत्पादों के लिए इनलैंड परिवहन सहायता की दर निम्न प्रकार से होगी:

i. उत्पाद के निर्यात के लिए उत्तर-पूर्व अथवा बागडोगरा से गुवाहाटी अथवा कोलकाता के लिए एयर लाईन द्वारा किसी हवाई अड्डे से किराया प्रभार का 90 प्रतिशत यदि उत्पाद के खराब होने की अत्यधिक संभावना हो। एयर लाईन द्वारा किराये प्रभार का 50 प्रतिशत यदि उत्तर पूर्व के किसी राज्य के हवाई अड्डे से उत्पाद को निर्यात हेतु दिल्ली अथवा मुम्बई हवाई अड्डे पर लाया जाता है।

ii. यदि उत्पादों को निर्यात हेतु उत्तर-पूर्व अथवा गुवाहाटी हवाई अड्डे से किसी अधिसूचित लैंड कस्टम स्टेशन के द्वारा सड़क द्वारा ले जाया जाता है तो एक रूपये प्रति कि.ग्रा. अथवा वास्तविक किराया जो भी कम हो।

iii. यदि उत्तर पूर्व के किसी राज्य से उत्पादों को आई सी डी के माध्यम से कोलकाता अथवा अन्य किसी बंदरगाह पर रेल द्वारा ले जाया जाता है तो 2 रूपये प्रति कि.ग्रा. अथवा वास्तविक किराया जो भी कम हो।

iv. यदि उत्तर पूर्व के किसी राज्य से उत्पादों को आई सी डी के माध्यम से गुवाहाटी अथवा पश्चिम बंगाल में अन्य किसी स्थान पर प्रोसेसिंग अथवा निर्यात हेतु ले जाया जाता है तो 2 रूपये प्रति कि.ग्रा. अथवा वास्तविक किराया जो भी कम हो।

(ख) वस्तुओं की राज्य-वार सूची को समाप्त कर दिया जाएगा तथा उत्तर-पूर्व से खाद्य प्रयोग हेतु चुने गए उत्पाद जैसे केला, अमरुद, नीबू, संतरा, नाशपाती, पाईन ऐपल, प्लमस, कट फ्लावर, अदरक, पशैन फ्रूट, किवी ऐपल, बांस तथा केन इन लैंड परिवहन सहायता हेतु पात्र होंगे।

(ग) उपर्युक्त खंड (1) के उद्देश्य हेतु खराब होने की उच्च संभावना वाले उत्पादों की सूची एपीईडीए द्वारा आयुक्त (उद्यान-विज्ञान), भारत सरकार के परामर्श से तैयार की जाएगी।

(घ) एपीईडीए उपर्युक्त रुप से सत्यापित करेगा कि उत्पादों को निर्यात हेतु उत्तर-पूर्व से प्राप्त किया गया है।

(ड.) निर्यातकों को परिवहन सहायता प्रदान किए जाने पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब उनके आवेदन के साथ संबंधित प्राधिकारी के यथा हस्ताक्षरित तथा मोहर सहित निम्न दस्तावेज संलग्न हो:

i. सीमा शुल्क द्वारा अधिप्रमाणित शिपिंग बिल (हवाई/समुद्री/सड़क) की निर्यात प्रोत्साहन प्रति की मूल प्रति हो।

ii. घरेलू रेल/सड़क परिवहन (परिवहनकर्त्ता द्वारा जारी किया गया बिल) की स्वयं प्रमाणित मूल प्रति तथा उसका तदनुरुपी अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन बिल ।

iii. व्यवसायिक इनवाइस की सीमा शुल्क/बैंक द्वारा प्रमाणित मूल प्रति ।

iv. बैंक से प्रपत्र-1 में प्रस्तुत विदेशी मुद्रा विनिमय प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र। प्रपत्र वाणिज्य मंत्रालय की हैंड बुक ऑफ प्रोसिजर के परिशिष्ट-22 में दिए अनुसार है। इससे सुनिश्चित हो सकेगा कि उत्तर पूर्व क्षेत्रों से होने वाला निर्यात समुचित माध्यम से है।

v. जिला उद्यान-विज्ञान अधिकारी तथा/अथवा राज्य कृषि मार्किटिग बोर्ड द्वारा यह प्रमाणित करते हुए प्रमाण-पत्र कि ये उत्पाद इस जिले/उत्तर पूर्व राज्य के उत्पाद है।

vi. यदि उत्पादों को सड़क द्वारा पश्चिम बंगाल ले जाया जाता है तो असम-पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित श्रीरामपुर लैंड चैक पोस्ट द्वारा यथा मोहर लगा हुआ परिवहन बिल/ यदि उत्पाद सिक्किम से निर्यात होते है तो परिवहन बिल पर एनएच 31 ए पर सिक्किम बोर्डर पर निकासी पोस्ट द्वारा मोहर लगी होनी चाहिये।

3. एपीईडीए इस संशोधित योजना की सफलता हेतु यह सुनिश्चित करें कि राज्य सरकारों की मदद से इसका पर्याप्त प्रचार-प्रसार हो।

4. योजना के अन्य मार्ग-निर्देश इस विभाग के दिनांक 16.7.2002 के पत्र संख्या 27/17/2002-राज्य एकक/इंफ्रा- II द्वारा परिचारित अनुसार ही रहेंगे।

(एस.के.तुली)
उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

श्री के एस मनी
अध्यक्ष, एपीईडी
नई दिल्ली

प्रतिलिपि:-

1. उत्तर पूर्व राज्यों के सभी मुख्य सचिव
2. श्री एस के पटनायक, मिशन निदेशक, राष्ट्रीय उद्यान-विज्ञान मिशन, कृषि भवन, नई दिल्ली
3. श्री दिनेश शर्मा, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग
4. श्री एस एन ब्रहमो चौधरी, निदेशक (एसपी-एन ई), योजना आयोग, नई दिल्ली
5. उत्तर पूर्व राज्यों के सभी आवासीय आयुक्त
6. अपर सचिव (सी एफ) के वरिष्ठ निजी सचिव
7. संयुक्त सचिव (एकेएम) के निजी सचिव
8. निदेशक (एएस) के निजी सचिव

इनलैंड परिवहन सहायता हेतु मार्ग-निर्देश

विषय:- सिक्किम सहित उत्तर पूर्व क्षेत्र से उद्यान विज्ञान उत्पादों के लिए 10वीं पंचवर्षीय योजन अवधि अर्थात 15.7.2002 से 31;3.2007 हेतु इनलैंड परिवहन सहायता हेतु प्रक्रिया।

उत्तर पूर्व से कृषि उत्पादों तथा प्रोसेसड़ फूड के नियति को प्रोत्साहन देने हेतु परिशिष्ट 1 (क) में दिए चुने गए उत्पादों के निर्यात हेतु इनलैंड परिवहन सहायता प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। यह लाभ 15.7.2002 से 31.3.2007 तक किए गए अंतिम निर्यात पर मिलेगा। यह सहायता एपीईडीए के माध्यम से प्रदान की जाएगी। परिवहन सहायता हेतु शर्तें तथा प्रक्रिया निम्न प्रकार होगी तथा 15 जुलाई, 2002 से 31 मार्च, 2007 तक किए निर्यात शीपमेंट के लिए ही वैध होगी।

1. परिवहन सहायता हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में किया जाएगा जैसा कि परिशिष्ट- II पर दिया है।
2. प्राप्त आवेदनों पर पहले आओ पहले पाओं आधार पर विचार किया जाएगा तथा यह धन की उपलब्धता के अधीन होगा।
3. परिवहन सहायता हेतु आवेदन नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एपीईजीए कार्यालयों को संबोधित किए जाए।

क) कोलकाता अथवा गुवाहाटी हवाई अड्डे अथवा कोलकाता बंदरगाह तथा/अथवा लाभार्थी का उत्तर पूर्व से संबंधित होने के मामले में	क्षेत्रिय प्रबंधक गुवाहाटी/ एपीईडीए कोलकाता

4. किसी भी एपीईडीए कार्यालय में दावे के प्रस्तुत करने की तारीख उसकी विचारार्थ तारीख मानी जाएगी। निर्यातक प्रति शीपमैंट आधार पर परिवहन सहायता का दावे करें। तथापि, शीपमैंट हेतु आवेदन-द्वि-सप्ताहिक आधार अर्थात कलैंडर माह की प्रथम तारीख से 15वीं तक तथा 16वीं से 31वीं तारीख के आधार पर किए जाए।
5. प्रत्येक दावे के साथ नीचे पैरा 8 में उल्लिखित सभी अपेक्षित दस्तावेजों सहित शीपमैंट ब्यौरे का विस्तुत विवरण होना चाहिये (परिशिष्ट-III में दिए प्रपत्र के अनुसार) पखवाड़ा आधार पर प्रत्येक दावे को बंचे करके एक सिंगल आवेदन के रूप एक संलिप्त ब्यौरे के साथ प्रस्तुत किया जाए जैसा कि अनुबंध-IV के आवेदन प्रपत्र में सबसे ऊपर दर्शाया गया हैं शीपमैंट बिल पर उल्लिखित उड़ान की तारीख/बिल ऑफ लैंडिग पर उल्लिखित तारीख की शीपमैंट की तारीख माना जाएगा।
6. निर्धारित प्रपत्र में आवेदन के अंतर्गत आने वाले सभी शीपमैंटों के बारे में पूर्ण विवरण नहीं होने पर उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।
7. पात्र तथा अ-पात्र उत्पादों हेतु परेषण अलग-अलग किया जाए। इसका अर्थ है कि आवेदन के साथ प्रस्तुत दस्तावेज जैसे शीपिंग बिल, रोड़वेज बिल, हवाई बिल/बिल ऑफ

लैंडिंग तथा इनवाइस स्पष्ट रुप से केवल बॉक्स में, मदों की संख्या तथा वजन आदि दर्शाते हुए, केवल पात्र उत्पादों को ही दर्शाये।

8. निर्यातकों को परिवहन सहायता प्रदान किए जाने पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब उनके आवेदन के साथ संबंधित प्राधिकारी के यथा हस्ताक्षरित तथा मोहर सहित निम्न दस्तावेज संलग्न हो:

क. सीमा शुल्क द्वारा अधिप्रमाणित शिपिंग बिल (हवाई/समुद्री/सड़क) की निर्यात प्रोत्साहन प्रति की मूल प्रति हो।

ख. घरेलू रेल/सड़क परिवहन (परिवहनकर्त्ता द्वारा जारी किया गया बिल) की स्वयं प्रमाणित मूल प्रति तथा उसका तदनुरुपी अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन बिल ।

ग. व्यवसायिक इनवाइस की सीमा शुल्क/बैंक द्वारा प्रमाणित मूल प्रति ।

घ. सीमा शुल्क द्वारा प्रमाणित शार्ट शीपमैंट प्रमाण-पत्र, मूल रूप में, यदि कोई हो

ड. एपीईडीए पंजीकण की प्रमाण पत्र की फोटो प्रति

च. व्यवसायिक इनवाइस की सीमा शुल्क/बैंक द्वारा प्रमाणित मूल प्रति ।

छ. बैंक से प्रपत्र-1 में प्रस्तुत विदेशी मुद्रा विनिमय प्राप्त होने का प्रमाण पत्र। प्रपत्र वाणिज्य मंत्रालय की हैंड बुक ऑफ प्रोसेजिंर के परिशिष्ट 22 में दिए अनुसार है।

9. दस्तावेज में किए गए परिवर्तन एयर लाईनस/कस्टम प्राधिकारियों/अन्य प्राधिकारियों द्वारा, जैसा भी मामला हो, सत्यापित किए जाए। यदि राशि, मात्रा अथवा किसी तथ्य में हुआ परिवर्तन स्वीकार्य प्राधिकारी द्वारा सत्यापित नही पाया गया तो आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

10. परिवहन सहायता केवल निर्यात शीपमैंट हेतु ही निर्यातकों को प्रदान की जाएगी न कि किसी अन्य पक्ष को।

11. निर्यात किए गए मद उनकी मात्रा सहित इन वाइस में अलग-अलग उल्लिखित की जाए तथा एच एस कोड सहित शीपिंग बिल पर दी गई हो।

12. शीपिंग बिल में तथा इनवाइस में स्पष्ट रूप से मदों के विवरण, उनके पैकेज कार्टन की संख्या अलग-अलग उल्लिखित की जाए। परिवहन सहायता केवल वास्तविक रुप से शीपमैंट किए उत्पाद के वजन के आधार पर दी जाएगी। यदि शीपिंग बिल अथवा इन वाइस में मद-वार उल्लेख नही है तो निर्यातक निर्यात किए गए उत्पादों के लिए शपथ-पत्र के साथ अन्य दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत कर सकते है।

13. उड़ान संख्या तथा उसकी तारीख शीपिंग बिल तथा हवाई बिल की निर्यात प्रोत्साहन प्रति पर उल्लिखित होनी चाहिये।

14. एपीईडीए द्वारा निम्न निर्धारित तारीखों को आवेदन प्राप्त किए जाएंगे:-

क. 15 जुलाई, 2002 से 31 मार्च, 2007 तक (पखवाड़ा) अवधि हेतु आवेदन संबंधित पखवाड़ा (परिशिष्ट-VII देखें) की समाप्ति तारीख से 7 पखवाड़ा के समाप्त होने से पहले अथवा समाप्त होने तक।

15. यदि आवेदन प्रस्तुत करने में उपर्युक्त निर्धारित अवधि से अधिक विलम्ब होता है तो निम्न शस्तियां लगाई जाएगी:

विलम्ब की अवधि	**अनुग्रार्य सहायता में % की कटौती**
(क) निर्धारित तारीख के बाद परंतु उसके 30 दिन के भीतर	5%
(ख) निर्धारित तारीख से 31 दिन से 60 दिन तक प्राप्त आवेदन	10%
(ग) निर्धारिती तारीख से 61 दिन से 90 दिन तक प्राप्त आवेदन	20%
(घ) निर्धारित तारीख के 90 दिन बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकार कर दिए जाएंगे	पूर्णत अस्वीकृत

16. जहां कही विवरण अपूर्ण है तथा एपीईडीए द्वारा विवरण सहित पुन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु एक पत्र जारी कर दिया गया है और यदि निर्धारित समय में निर्यातक द्वारा विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है ऐसे आवेदन भी 'निर्धारित तारीख' के 180 दिन बाद अस्वीकृत कर दिए जाएंगे।

17. किसी आंशका/विवाद के होने के मामले में भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के संदर्भ हेतु भेजा जाएंगा तथा उसका निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

18. परिवहन सहायता हेतु आवेदन करते समय निर्यातक एपीईडीए (पखवाड़ा आधार पर) से पहले लिए जा रहे, किसी परिवहन सहायता अथवा एपीईडीए में लम्बित दावे को दर्शाने वाला विवरण भी भेजेगा।

19. यदि आवेदन में प्रस्तुत कोई सूचना किसी भी स्तर पर गलत पाई जाती है तो आवेदन को प्राप्त परिवहन सहायता की पूर्ण राशि लौटानी होगी तथा एपीईडीए के पास जैसा भी वह उपयुक्त समझे अन्य अतिरिक्त शास्ति लगाने का भी अधिकार होगा।

20. परिवहन सहायता केवल इस पत्र में निहित दस्तावेजों के सत्यापन और विवरण के तथा संगत दस्तावेजों के सत्यापन, जैसा भी एपीईडीए द्वारा अपेक्षित समझा जाए, के बाद ही दी जाएगी। निर्यातको को दस्तावेज प्रस्तुत करने के समय परिशिष्ट-VI में दी गई चैक लिस्ट का संदर्भ लेने की सलाह दी जाती है।

21. पात्र उत्पादों हेतु परिवहन सहायता की दर निम्न अनुसार होगी:-

क. एयर लाईन द्वारा उत्पाद के निर्यात के लिए उत्तर-पूर्व राज्य से गुवाहाटी के लिए गुवाटी एयर पोर्ट से एक रुपये प्रति कि.ग्रा. की दर से ।

ख. यदि उत्तर पूर्व राज्य से कोलकाता अथवा रेल द्वारा ले जाया जाता है तो 2 रूपये प्रति कि.ग्रा.।

ग. यदि उत्तर पूर्व किसी राज्य से उत्पादों को आई सी डी के माध्यम से गुवाहाटी अथवा पश्चिम बंगाल में अन्य किसी स्थान पर प्रोसेसिंग अथवा निर्यात हेतु ले जाया जाता है तो 2 रूपये प्रति कि.ग्रा. ।

घ. निर्यात के लिए उत्तर पूर्व राज्य तथा बागडोगरा एयर पोर्ट से गुवाहाटी अथवा कोलकता हेतु हवाई किराये के 90 प्रतिशत की दर से।

ड. एपीईडीए उपर्युक्त रुप से सत्यापित करेगा कि उत्पादों को निर्यात हेतु उत्तर-पूर्व से प्राप्त किया गया है।

च. उपर्युक्त दरे 'राज्य-वार' तालिका में उल्लिखित अनुसार, परिशिष्ट 1 (क) में संलग्न, सभी ताजे तथा प्रोसेसड फ्रूट पर लागू है।

22. प्रोसेसिंग हेतु उत्तर पूर्व से लाए गए उत्पाद तथा पश्चिम बंगाल को छोड़कर उत्तर पूर्व और सिक्किम से बाहर के राज्य से निर्यात की सहातार्थ पात्र नही समझा जाएगा।

23. परिवहन सहायता निर्यातको को केवल बैंक से प्रपत्र-1 में प्रस्तुत विदेशी मुद्रा विनिमय प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र। प्रपत्र वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हैंड बुक ऑफ प्रोसिजर के परिशिष्ट-22 में दिए अनुसार है। इससे सुनिश्चित हो सकेगा कि उत्तर पूर्व क्षेत्रों से होने वाला निर्यात समुचित माध्यम से है।

24. परिवहन सहायता कुल वजन के आधार पर देय होगी।

25. सभी दावा करने वाले एपीईडीए अथवा उसके अन्य क्षेत्रिय कार्यालय में दस्तावेज भेजने से पहले सुनिश्चित करें कि आवेदन केवल पात्र उत्पादों तथा संबंधित प्राधिकारी से प्रमाणित अपेक्षित दस्तावेजों सहित निर्धारित समय-सीमा के भीतर लागू गन्तव्य स्थानों के लिए ही हो।

26. एच एस कोड (परिशिष्ट 1ख) इनवाइस तथा शिपिंग बिल में दिए सभी उत्पादों के संबंध में अपेक्षित है।

27. यदि एयर वे द्वारा भेजी गई मात्रा शिपिंग बिल की मात्रा से अधिक हो तो निर्यातक का दावा शिपिंग बिल की मात्रा तक ही सीमित होगा।

28. आवेदन प्रस्तुत करने से पहले, आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि आवेदन उपर्युक्त मार्ग निर्देशों तथा परिशिष्ट-IV में दी गई चैक लिस्ट के संबंध में पूर्ण है।

अनुबंध संख्या 1 (क)

1.एईजेड द्वारा अनुमोदित किए गए सभी ताजे तथा प्रोसेसड उत्पाद (एपीईडीए अनुसूची के अंतर्गत

2. एपीईडीए अनुसूची के अंतर्गत सभी प्रमाणित जैव उत्पाद

3. परिवहन सहायता हेतु चुनी गई अन्य मदें निम्न प्रकार है-

राज्य	केला	अमरुद	नीबू	संतरा	नाशपाती	पाईनऐपल	प्लम
अरूणाचल प्रदेश	x			x			
असम	x	x	x	x		x	
मणिपुर		x	x	x	x	x	x
मेघालय	x		x	x	x	x	x
मिजोरम	x			x	x	x	x
नागालैंड	x	x		x		x	
सिक्किम		x	x		x		x
त्रिपुरा			x	x		x	

राज्य	कट फ्लावर	अदरक	पेशन फ्रूट	किवी ऐपल	बांस	केन उत्पाद
अरूणाचल प्रदेश	x	x	x	x x		
असम	x	x				
मणिपुर	x		x			
मेघालय		x				
मिजोरम			x			
नागालैंड			x			
सिक्किम	x	x				
त्रिपुरा		x	x		x	x

अनुबंध51 (ख)

इनलैंड परिवहन सहायता

	योजना के अंतर्गत आने वाले उत्पाद	एच एस कोर्ड
क	ताजा	

क	पाईनऐपल	08043000
ख	आर्थिक तथा अन्य फ्लावर	06031000
ग	अदरक	07099009
घ	केला	08030000
ड.	कट फ्लावर	06031000
च	अदरक	19052000
छ	अमरुद	08045001
ज	नीबू	08053000
झ	संतरा	08051000
ट	पशैन फ्रूट	08109009
ठ	नाशपाती	08082000
ड	प्लम	08094000
ढ	चावल	
ण	प्पेर	070990040
त	सेब	08081000
थ	किवी	08105000
ख	प्रोसस्ड़	सभी कोड 1006 के अंतर्गत
क	प्रोसस्ड अमरुद	20079920
ख	अमरुद फल	2008994
ग	नीबू फल	20089912
घ	प्रोस्सेड सिट्रस	20079100
ड.	सिट्रस फल	200830
च	संतरा	20083010
छ	संतरा जूस फरोजन	20091100
ज	संतरा जूस फरोजन	20091200
झ	नाशपाती फल	20084000
ट	सिंगल सिट्रस फल	20093100
ठ	प्रोस्सेड पाईन ऐपल फल	20079930
ड	पाईन ऐपल जूस	20082000
ढ	पाईन ऐपल प्रीपरेड/संरक्षित	20094100

ण	पाईन ऐपल जूस	20082000
त	पाईन ऐपल स्कवेश	20094000
थ	जगेरी	20089904
द	प्पेर इन ब्राईन	17011110
ध	प्रोसस्ड ऐपल	07119010
न	प्रोसस्ड किवी	20089913

परिशिष्ट-II

इन लैंड परिवहन सहायता हेतु आवेदन

..... से ..... को समाप्त पखवाड़ा

1. (क) नाम .....

(ख) पता .....

.....

.....

नगर .....

पिन कोड.....

(ख) एपीईडीए पंजीकरण संख्या.....

पंजीकरण तारीख.....

2. (क) कुल सहायता राशि दावा.....

(ख) पहले ही प्राप्त सहायता राशि.....

(ग) लम्बित दावे (क) पखवाड़ा .....

(ख) प्रस्तुत करने की तारीख.....

(ग) कार्यालय जहां प्रस्तुत किया.....

उद्घोषणा

(1) इस योजना के अंतर्गत मुझे/हमें उपलब्ध कराई जानकारी हमने पढ़ ली है और समझ ली है मै/हमें इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता की प्रक्रिया तथा शर्तो से हम अवगत है तथा मुझे/ हम पर यह बाह्यकारी है, स्वीकार करते है।

(2) मैं/हम यह उद्घघोषणा करते है कि उपर्युक्त उल्लिखित तथा परिशिष्ट सही है और उनमें कोई बात छिपाई या दबाई नही गई है।

(3) यदि इन उत्पादों का कुछ अंश पुन: आयात किया जाता है तो हम इसकी जानकारी एपीईडीए को देगे। और उन मदों के संबंध में प्राप्त सहायता राशि को तत्काल लौटा देगे।

प्राधिकृत हस्ताक्षर

स्थान: नाम (बडे अक्षरों में)

दिनांक: (पदनाम तथा कम्पनी की मोहर)

अनुबंध-III

शिपमैंट का विवरण

निर्यातक का नाम	पखवाड़ा समाप्ति	बंदरगार जाने का
इनवाइस सं.	एयरवे/परिवहन बिल/आरआर	बंदरगाह आगमन
इनवाइस की तारीख	एयरवे/लेंडिग बिल तारीख	देश का कोड
शीपमैंट नम्बर	शीपमैंट बंदरगाह	
एयरवे बिल नं.	एयरवे तारीख	

अनुबंध-IV

शीपमैंट का विवरण तथा इनलैंड परिवहन सहायता का दावा

क्र.सं.	बिल सं./आरआर एयरवेज बिल सं.	इनवाइस सं.	दावा सहायता राशि (रूपये)	पृष्ठ सं.
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				

8				
9				
10				
कुल योग				

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नोट: प्रत्येक शीपमैंट दावा श्रृंखला बद्ध होना चाहिए तथा पृष्ठ संख्या डाली गई हो तथा प्रत्येक शीपिंग बिल के आरंभ से अंत तक दस्तावेजों पर पृष्ठ संख्या डाली जाए ताकि कार्यवाही सुलभ हो सके ।

अनुबंध-V

परिशिष्ट-22

निर्यात तथा प्रापण का बैंक प्रमाण-पत्र

प्रपत्र संख्या 1

सेवा में.....(लाइसैंस प्राधिकारी का नाम तथा पता) हम..... ..... निर्यातकों का नाम तथा पता) एतद्द्वारा घोषणा करते है कि हमने डोकोमैटरी निर्यात बिल को भेज दिया है ..... बैंक का नाम तथा पता अर्थात शाखा तथा शहर) प्राप्त करने/ सौदा करने/कम करने हेतु निम्न दर्शाये गए विवरण के अनुसार है। ।

इनवाइस	सीमा शुल्क द्वारा यथाप्राधिकृत शीपिंग बिल की निर्यात प्रोत्साहन प्रति	उत्पादों का विवरण जैसा कि सीमा शुल्क द्वारा प्राधिकृत शीपिंग बिल में दिया गया है	लैंडिग बिल/पीपी एयरवे बिल की प्राप्ति	उत्पाद के गन्तव्य देश का नाम	बिल की राशि सीआईएफ/सी एंड एफ/ एफओबी (विदेश विनिमय में)
सं.	तारीख सं.	तारीख	सं.	तारीख	
(1)	(2) (3)	(4) (5)	(6)	(7) (8)	(9)

लैंडिग किराये मीमों के अनुसार किराये की राशि	बीमा कम्पनी बिल/प्राप्ति के अनुसार बीमे की राशि	क्या निर्यात कमीशन/ डिस्काउंट देय/प्रदेय	एफओबी/ वास्तविक एफओबी मूल्य विदेशी मुद्रा अथवा भारतीय रूपये में	विदेशी मुद्रा/रूपये में देयता की तारीख	निर्यात से प्राप्त होने वाली राशि की तारीख	एसडी एफफार्म	लागू लाइसेंस की तारीख तथा संख्या
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)

हमें आगे यह भी घोषणा करते है कि उपर्युक्त विवरण सही है (इन निर्यातों से संबंधित इनवाइस की प्रतियां तथा सीमा शुल्क प्रमाणित ई पी/ संगत शीपिंग बिल की प्रति बैंक द्वारा सत्यापित किए जाने हेतु संलग्न)

निर्यातक के हस्ताक्षर.....
नाम बड़े अक्षरों में.....

स्थान:-

पदनाम.....
पूर्ण अधिकारिक पता.....
पूर्ण आवासीय पता .....

अधिकारिक सील/मोहर

बैंक प्रमाण-पत्र

प्राधिकृत विदेश विनिमय डीलर
बैंक द्वारा दी गई कोड संख्या

आरबीआई.....
संदर्भ सं.....
दिनांक .....
स्थान.....

1. प्रमाणित किया जाता है कि हमने संगत निर्यात इनवाइस सत्यापित कर लिए है। मैसर्स..... की सीमा शुल्क प्रमाणित ई.पी/शिपिंग बिल तथा अन्य संगत दस्तावेजों की प्रति। हम यह भी प्रमाणित करते है कि कॉलम 1 से 17 में दिए विवरण सत्यापित है तथा कॉलम 14 में उल्लिखित एफओबी मूल्य निम्न दस्तावेजों के संदर्भ में है:-

i. बिल ऑफ लैडिग/पीपी प्राप्ति/एयरवे बिल

ii. बीमा पोलिसी/कवर/बीमा प्राप्ति

2. हमने संबंधित मेल प्राप्ति की तारीख जैसा कि संगत शिपिंग बिल में दर्शायी है..... दिए जाने की तारीख, भी सत्यापित की है।

3. हम यह भी सत्यापित करते है कि निर्यात की तारीख ..... है (केवल हवाई जहाज द्वारा निर्यात के संदर्भ में)

4. यह प्रमाणित किया जाता है कि निर्यातक द्वारा दिया गया /दिया जाने वाले कमीशन की राशि..... है। जी आर फार्म के (शब्दों तथा अंकों में) तथा उसे सही पाया है।

बैंकर्स के हस्ताक्षर

बैंकर्स का पूर्ण पता

.....

शाखा तथा शहर .....

अधिकारिक मोहर

नोट:

1. बैंक एक से अधिक परेषणों के लिए समेकित प्रमाण-पत्र जारी कर सकते है (परेषणों-वार)

2. वास्तव में प्राप्त एफओबी तथा निर्यात से प्राप्त होने वाली राशि की तारीख दी जानी है केवल उन मामलों को छोड़कर जिनमें पारेषण को कनफोर्मड इंररिवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट के समक्ष भेजा गया है।

3. जहां कही भी नीति/प्रक्रिया में निर्धारित किया गया है, अपेक्षित है।

अनुबंध-VI

अवधि हेतु इनलैंड परिवहन सहायता

15 जुलाई, 2002 से 31 मार्च, 2007 तक, इनलैंड परिवहन सहायता दावों पर कार्यवाही संबंधी चैक लिस्ट

चैक

जी हां जी नही टिप्पणियां

(कृपया टिक करें तथा सुनिश्चित करे की सभी विविरण भरे गए हैं)

1. क्या लाभार्थी एपीईडीए के साथ पंजीकृत है?

2. क्या आवेदन में उल्लिखित आय कर विभाग द्वारा दी गयी पैन नम्बर की कापी अथवा वैकल्पिक रुप से आय कर द्वारा दी गई प्राप्ति की तारीख आवेदन के साथ दिया गया है?

3. क्या दावे को अधिसूचना के अनुसार पदनामित एपीईडीए कार्यालय में भेज दिया गया है ?

4. कया एपीईडीए पंजीकरण की प्रति संलग्न है?

5. क्या यह पंजीकरण इस निर्यात अवधि हेतु मान्य है?

6. क्या अनुबंध-II अर्थात सहायता राशि हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र में भरा गया है तथा निर्यातक द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए गए है?

7. क्या यह पखवाड़ा, एएफएस योजना के अंतर्गत संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए पात्र अवधि है?

8. क्या दावा निर्धारित अवधि में प्रस्तुत किया गया है (अन्यथा इस पर कटौती की शस्ति पूर्ण स्वीकार किया जा सकता है)

9. क्या गन्तव्य देश जहां निर्यात किया जा रहा है योजना के अंतर्गत शामिल है।

10. क्या फाईल में प्रस्तुत दावा किसी एक पखवाड़े से संबंधित है (प्रत्येक पखवाड़े के लिए अलग दावा होना चाहिये)

11. क्या मदें एपीईडीए की अधिसूचना के अनुबंध-I के अनुसार पात्र है?

12. क्या अनुबंध-IV अर्थात शिपिंग बिल-वार दावे का विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है तथा इस पर लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षर किए हुए है और इसमें कोई परिवर्तन नही किए गए है ?

13. क्या अनुबंध-V विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हेतु बैंक प्रमाण पत्र, जिसमें शीपिंग बिल वार प्राप्ति दी गई है, निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया गया है।

बैंक द्वारा विदेशी विनिमय की प्राप्ति के मामले में, निम्न चैक करें

(i) क्या यह मानक प्रपत्र (प्रपत्र-II) में है?

(ii) क्या यह बैंक की स्टेशनरी पर है?

(iii) क्या बैंकर्स का नाम तथा पता स्पष्ट है तथा उसे समुचित रुप से हस्ताक्षरित तथा मोहर लगी है।

(iv) यदि कोई परिवर्तन है तो क्या उस पर बैंक द्वारा हस्ताक्षर तथा मोहर द्वारा अधिप्रमाणित किया गया है।

14. क्या अनुबंध-III अर्थात हवाई किराया सहायता प्रत्येक शीपमैंट हेतु अलग से प्रस्तुत किया गया है।

15. क्या अनुबंध-III पर लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षर किए गए है

16. क्या यह उद्घोषणा की गई है कि इन मदों को अनुबंध-III में दिए अनुसार विशेष/चार्टड उड़ान से तो नही लाया गया है?

17. क्या लाभार्थी द्वारा पात्र तथा अपात्र मदों के लिए अलग शिपिंग बिल प्रस्तुत किए गए है।

18. क्या शिपिंग बिल में मदों का एच एस कोड समुचित रूप से उल्लिखित किया गया है।

19. क्या शिपिंग बिल के उल्टी तरफ उद्घोषणा को सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है?

20. क्या शिपिंग बिल पर दिए गए पैकिटो की संख्या तथा उनका वजन अन्य दस्तावेजों में दिए अनुसार है?

21. क्या शीपमैंट उसी पखवाड़े में किया गया है जिसके लिए दावा प्रस्तुत किया गया है? इस उद्देश्य हेतु उद्घोषणा तथा शिपिंग बिल पर ही उड़ान की तारीख शीपमैंट की वास्तविक तारीख मानी जाएगी ।

22. यदि शिपिंग बिल पर अथवा शिपिंग बिल उद्घोषणा अथवा शर्ट नोटिस क्या उसे सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षर और मोहर के साथ सत्यापित किया गया है।

23. यदि एयरवे बिल में कोई परिवर्तन है तो क्या उसे कार्गो अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर तथा मोहर से सत्यापित लिया गया है।

24. क्या वह वजन जिसके लिए दावा पेश किय गया है वास्तव में निर्यात हुआ है।

25. क्या सी आई एफ मूल्य, हवाई किराया तथा एफओबी मूल्य नहीं है जैसा कि अनुगबंध-III के अनुसार विदेशी मुद्रा प्राप्ति के प्रमाण-पत्र में दिया गया है ।

26. पपीते तथा प्याज के मामले में क्या पपीते की किस्म इनवाइस के साथ-साथ शिपिंग बिल में उल्लिखित की गई है?

27. क्या लाभार्थी ने प्रत्येक अनुबंध-III के साथ पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत किए है अर्थात

(i) व्यवसायिक इनवाइस की प्रति (प्रोफार्मा इन वाइस के फलोरिकल्चर प्रति के मामले में) को लाभार्थी द्वारा हस्ताक्षर किये गए है तथा सीमा शुल्क अथवा बैंक द्वारा प्रमाणित किया गया है?

(ii) एयरवे बिल की स्वयं प्रमाणित प्रति ।

(iii) सीमा शुल्क द्वारा प्रमाणित शिपिंग बिल की निर्यात प्रोत्साहन प्रति मूल रूप में ।

(iv) शर्ट शीपमैंट नोटिस की एक प्रति, यदि कोई हो, मूल रूप से सीमा शुल्क प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित?

(v) सभी तरह के परिवर्तन, कटिंग, ओवर राइटिंग सत्यापित है।

28. क्या

(क) सभी दस्तावेजों में सही अंग्रेजी नाम तथा संगत एच एस कोर्ड उल्लिखित है।

(ख) आवेदन पूरी तरह भरा गया है तथा उद्घोषणा हस्ताक्षरित है?

हस्ताक्षर कम्पनी के नाम
तथा मोहर सहित

स्थान:.....

तारीख: .....

अनुबंध-VII

दावे प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तारीखे

पखवाड़ा (2003-2007 में)	दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख (2003-2007 में)
1-25 अप्रैल, 2003	31 जुलाई, 2003
16-30 अप्रैल	15 अगस्त
1-15 मई	31 अगस्त
16-31 मई	15 सितम्बर
1-15 जून	30 सितम्बर
16-30 जून	15 अक्तूबर
1-15 जुलाई	31 अक्तूबर
16-31 जुलाई	15 नवम्बर
1-15 अगस्त	30 नवम्बर
16-31 अगस्त	15 दिसम्बर
1-15 सितम्बर	31 दिसम्बर
16-30 सितम्बर	15 जनवरी, 2004
1-15 अक्तूबर	31 जनवरी
16-31 अक्तूबर	15 फरवरी
1-15 नवम्बर	28 फरवरी
16-30 नवम्बर	15 मार्च
1-15 दिसम्बर	31 मार्च

16-31 दिसम्बर	15 अप्रैल
1-15 जनवरी, 2004	30 अप्रैल
16-31 जनवरी	15 मई
1-15 फरवरी	31 मई
16-29 फरवरी	15 जून
1-15 मार्च	30 जून
16-31 मार्च	15 जुलाई
16-31 माच, 2007	15 जुलाई, 2007

क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा पखवाड़ा आधार पर अनुमोदनार्थ विवरण का अग्रेषण

क्षेत्रिय कार्यालय भुगतान करने से पहले एपीईडीए, दिल्ली का पूर्वानुमोदन प्राप्त करने हेतु निम्न सूचना ई-मेल द्वारा अग्रेषित करेगे।

एबस्ट्रेक्ट-I
(प्रत्येक निर्यातक का फाईल-वार प्रपत्र होरीजोन्टल कालम)

1 फाईल सं.
2 निर्यातक का नाम
3 पखवाड़ा समाप्ति
4 प्राप्ति की तारीख
5 शिपिंग बिल का विवरण
6 शीपमैंट का बंदरगाह
7 गन्तव्य बंदरगाह
8 उत्पादों का विवरण
9 दावे की मात्रा (कि.ग्रा.)
10 कुल पात्रता (कि.ग्रा.)
11 सीआईएफ मूल्य (रूपये)
12 एफओबी मूल्य (रूपये)
13 आईएटीए दर का 25% (रूपये)
14 एफओबी मूल्य का 50% अथवा 1/3 जैसा भी मामला हो (रूपये)
15 प्रत्येक कि.ग्रा. सहायता की पात्रत सीमा (उदाहरण के लिए 10 रूपये अथवा 25

रूपये)

16 दावे की राशि (आवेदन के अनुसार) (रूपये)

17 निर्यातक की हकदारी पात्रता (उपर्युक्त कालम 13 से 15 तक में सबसे कम रूपये)

18 शस्ति राशि (%)

19 संस्तुत राशि (रूपये)

एब्स्ट्रेक्ट-II

चार्टड अकाउटंट द्वारा संस्तुत सहायता राशि का प्रमाण पत्र

एब्स्ट्रेक्ट-III

(प्रत्येक मांगे गए अनुमोदन हेतु भुगतान का समेकित विवरण)

1. फाइल रू.
2. निर्यातक का नाम
3. सहायता के रूप में संस्तुत की गई राशि (उत्पाद-वार)